आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *JaipurCity/203/2017-19*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 14 अंक 13 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 10 जुलाई, 2017 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु. Website: www.nyayikjwala.org.

अपराधी प्रिय भारतीय न्याय-व्यवस्था का शुद्धिकरण

जब अधिक माइलेज देने वाली हीरोहौंडा मोटरसाइकिल भारत में आई थी तब विज्ञापन में कहा जाता था : फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। ऐसा ही कुछ भारतीय न्यायपालिका के विषय में कहा जाता है : फाइल एंड फॉरगेट यानी दावा दायर करो और भूल जाओ। यदि आप भारत में व्यापार करते हैं तो लगभग यह असंभव कि आपने कानूनी कार्यवाही की पीड़ा नहीं झेली और व्यापार संकुचित होता जाता है। बाबु लोग ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना उचित समझते हैं जिनसे व्यापार को हानि पंहुचे लेकिन जब उसे माफ़ करने या राहत देने का प्रश्न उठे तो वे कानून की ऐसी संकुचित व्याख्या करेंगे की राहत नहीं दी जा सके और मजबूरन व्यापारी को उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़े। कई बार कई धाराओं के प्रावधानों से वे सहमत तो होते हैं किंतु फिर भी वे मौन 12-14 प्रतिशत की दर से ब्याज पर लेना पड़ेगा जिस पर मासिक चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। उसे ऋण लेने के लिए अन्य नाना प्रकार की परेशानियां : जैसे वार्षिक नवीनीकरण, स्टोक का हिसाब रखना, ऑडिट करवाना आदि भुगतनी पड़ेंगी। किन्तु यदि वह चुकाने से मुकर जाता है तो उसके लेनदार को न्यायालय में जाना पड़ेगा जिससे आपको आने वाले 10 वर्षों तक कोई परेशानी नहीं होगी : न वह बैंक को 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित जो रूपये दो लाख तीस हजार रुपये चुकाने पड़ते उसकी बजाय न्यायालय के माध्यम से मात्र एक लाख बीस हजार में ही काम चल जाएगा! छोटे मोटे खर्चों को निकालकर भी वह आकर्षक एक लाख दस हजार रूपये बचा लेगा और लगभग 50 प्रतिशत लाभ कमा लेगा। बैंकों के बढ़ते डूबंत ऋणों में भी इस जटिल व्यवस्था का महत्वपूर्ण बिगड़नेवाली है तथा अंतत: हमारी सभ्यता के लिए बड़ी चुनौती है। सरल शब्दों में, यदि लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलेगा तो वे न्याय के लिए अंडरवर्ल्ड के डॉन या बंदूक धारियों के पास जायेंगे जैसा कि भारतीय पान मसाला किंग अपने साझेदार के साथ विवाद निपटाने कुछ वर्ष पूर्व करांची गया था। किन्तु हमारे नीति निर्माताओं को इस बात की चिंता नहीं है कि जब हो। वास्तव में इस बात के पर्याप्त अवसर हैं कि आपको पहले ही वर्ष में बिक्री कर और उत्पाद कर आदि के मामलों में अपीलें करनी पड़ेंगी जो कि कालान्तर में आयकर विभाग और करार की अनुपालना के लिए मुकदमों तक कुछ ही वर्षों में रफ्तार पकड़ लेंगी। चूँकि भारत में व्यापारिक हित सार्वजनिक हित के साथ सामन्जस्यपूर्ण नहीं हैं इसलिए ज्यादातर मामले व्यापारी के विरुद्ध ही निर्णित होते हैं और सरकार के साथ मुकदमों को टालना असंभव बनाते हैं। इस कारण इसका दायरा बढ़ता जाता है रहते हैं। करार सम्बंधित अधिकारों को भारत में लागू करना अत्यंत कठिन है और विश्व बैंक के अनुसार व्यापार में सहजता के सूचकांक में भारत का 189 देशों में से 186 वां गौरवमयी स्थान है! कारण अपने आप में स्वस्पष्ट है। मुकदमेबाजी में जाना या विपक्षी को धकेलना और जिम्मेदारी को स्थगित किये रखना सस्ता व सरल है बजाय कि बैंक से पैसा निकालें और आज ही चुका दें।

उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपना कर्जा आज ही चुकता है तो उसे बैंक से कोई मांग तकरार कर सकेगा। और तब न्यायालय 6-8 प्रतिशत साधारण ब्याज के लिए डिक्री देंगे जिसके इजराय के लिए उसे फिर दुबारा दावा करना पड़ेगा जिसमें वसूली होने की संभावना 50 प्रतिशत ही होगी अर्थात फिर भी आपको 50 प्रतिशत ही देना पड़ेगा। एक चूककर्ता अपने जिम्मेदारी को फिर भी आगे खिसकाता जाएगा और आप एक निरीह प्राणी की भांति मूकदर्शक बने रहेंगे और गीली लकड़ी की भांति सुलगते रहेंगे।

यदि एक लाख रूपये के मुकदमे को 10 वर्ष तक खेंच लिया जाए तो योगदान है। बैंकों ने अब एक लाख रूपये से कम बकाया के मुकदमे दायर करने लगभग बंद कर दिए हैं। इसलिए हमारी न्यायिक प्रणाली करार की अनुपालना को टालने और विपक्षी को न्यायालय की और धकेलने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन देती है। न्यायालयों में ज्यादा मामले का अर्थ है, ज्यादा विलम्ब जिसका अर्थ है भुगतान के लिए और ज्यादा लंबा समय! इसलिए न्यायालयों में विलम्ब का ऐसे चतुर लोग स्वागत करते हैं और वे न्यायालयों के सबसे बड़े प्रशंसक भी हैं। यह स्थिति अब और तक विशेष न्यायालयों का गठन नहीं किया जाए तब तक इसका इलाज संभव नहीं है। समाधान तो तभी संभव है जब कोई समस्या को सही रूप में जड़ से समझे। क्या ये लोग समस्या को समझ पा रहे हैं? संभवत: वे यह भी समझ नहीं पा रहे हैं कि देश में अपराधियों को पुलिस या कानून का कोई भय नहीं है। हमारी वर्तमान व्यवस्था न तो एक दोषी को पर्याप्त दंड देती है और न ही एक पीड़ित को पर्याप्त क्षतिपूर्ति। यह बात राजधानी में भी लगातार होते बलात्कारों /

(शेष पृष्ठ चार पर)

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने कॉलेजियम व्यवस्था पर फिर सवाल उठाये

नई दिल्ली। उत्तर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले के लिए वर्षों से जारी कॉलेजियम व्यवस्था पर उच्चतम न्यायालय के ही दो न्यायाधीशों ने सवाल खड़े किये हैं।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून और इससे संबंधित 99वें संविधान संशोधन को निरस्त करने के फैसले का विरोध करने वाले न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर ने इस बार कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सी.एस. कर्णन से संबंधित प्रकरण में एक बार फिर कॉलेजियम व्यवस्था की ओर अंगुली उठाई है। उनके साथ न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने भी इस व्यवस्था पर सवाल उठाया है।

न्यायमूर्ति कर्णन के खिलाफ अदालत की अवमानना मामले में सात सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई की थी, उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहते हुए छह माह जेल की सजा सुनाई थी। यह फैसला सर्वसम्मति से सुनाया गया था, जिसका लिखित ब्यौरा करीब दो माह बाद जारी किया गया। इस ब्यौरे में कॉलेजियम प्रणाली पर फिर से विचार करने की बात उजागर हुई है।

सात सदस्यीय संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश जे.एस. केहर के अलावा न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (अब सेवानिवृत्त) तथा न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ शामिल थे। इनमें से दो सदस्यों न्यायमूर्ति चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति गोगोई ने मुख्य फैसले से अपनी सहमति जताने के बावजूद अलग से टिप्पणी की है। दोनों न्यायाधीशों ने लिखा है कि न्यायमूर्ति कर्णन के मामले को देखते हुए उत्तर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिर से विचार किये जाने की जरुरत है।

न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ही एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं, जिन्होंने संविधान पीठ के अन्य सदस्यों से इतर एनजेएसी कानून को सही ठहराया था और कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल खड़े किये थे। इतना ही नहीं उन्होंने कॉलेजियम से खुद को अलग रखने के लिए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर को सितम्बर 2016 में पत्र भी लिखा था। न्यायमूर्ति कर्णन मामले में न्यायमूर्ति चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति गोगोई ने लिखा है कि मौजूदा मामले से दो बातें उभर कर सामने आई हैं, पहली- न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया की फिर से व्याख्या करने की जरुरत है और दूसरी- कदाचारी न्यायाधीशों को सुधारने की आवश्यकता है।

फैसले के ब्यौरे में कहा गया है कि पूर्व न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिया उससे भारतीय न्यायिक प्रणाली का देश-विदेश में मजाक बना है।

गलत फैसले पर जज को लगाई फटकार

नई दिल्ली। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर लूट के एक मामले में पुलिस द्वारा विरोधाभासी तथ्य पेश करने के बावजूद तीस हजारी अदालत के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने चार युवकों को चार साल कारावास की सजा सुना दी। मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो ट्रायल कोर्ट के रवैये पर गहरी आपत्ति जताते हुए न्यायमूर्ति ए.के. चावला ने तत्काल चारों युवकों को जेल से रिहा करने के निर्देश दिए।

न्यायमूर्ति ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बेहद बेपरवाह और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ चारों युवकों को सजा सुनाई है। आपराधिक मामलों का निपटारा करने वाली अदालतों से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। दोषी करार देने का गलत निष्कर्ष निकालना जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करना है। न्याय शास्त्र में संदेह का लाभ देकर आरोपी को बरी करने को जगह दी गई है, ताकि निर्दोश को बचाया जा सके। अभियोजन के मुख्य गवाह नबीउल्ला के असंगत व विरोधी बयानों के बावजूद चार युवकों को सजा दी गई। जांच एजेंसी और ट्रायल कोर्ट दोनों ने ही असंवेदनशील तरीके से काम किया। हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी को निचली अदालत के जज के पास भेजने का आदेश देते हुए कहा कि वह इसका अध्ययन कर सुनिश्चित करे कि ऐसी गलती अब नहीं होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि दोषियों के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के पास आने की जानकारी पहले से थी। फिर भी रेलवे अधिकारी व अन्य को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया। गिरफ्तारी मेमो से छेड़छाड़ कर गिरफ्तारी का वक्त 17 फरवरी 2012 से 19 फरवरी किया गया है। साढ़े 12 बजे चारों दोषियों की गिरफ्तारी हुई। मौके पर ही फुटपाथ पर बैठकर तीन घंटे तक दस्तावेज बनाने की बात कही गई। अगर साढ़े 10 बजे युवक पहुंचे थे तो डेढ़ बजे तक गिरफ्तारी की कार्रवाई होनी चाहिए थी। डेली डायरी (डीडी) संख्या-62बी में वायरलैस पर एक शख्स के सड़क

सम्पादकीय ....

भ्रष्टाचार और आईएएस अधिकारी

सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के कम से कम 39 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता तथा अन्य अनियमितताओं के आरोपों की जांच शुरू की है।

आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि आईएएस धिकारियों के लिए नोडल अथॉरिटी के रूप में काम करने वाली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) यह कार्रवाई कर रही है। इन अधिकारियों के अलावा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के 29 अधिकारी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।

सूत्रों ने दावा किया कि शिकायत के आधार पर और सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद 68 अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। इनमें से कुछ वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत हैं। केन्द्र सरकार सेवा आपूर्ति और शासन तंत्र को और सुधारने के प्रयास के तहत अपने कर्मचारियों की समीक्षा कर रही है। नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के कामकाज का आकलन उसकी सेवाकाल में दो बार किया जाता है। इनमें से पहला सर्विस के लिए चुने जाने के 15 साल पर और इसके बाद 25 वर्ष के बाद। पिछले एक वर्ष में केन्द्र सरकार ने काम नहीं करने वाले 129 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है। इनमें आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। केन्द्र ने काम नहीं करने वालों की पहचान करने के लिए 67,000 कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की जांच करने की भी कवायद शुरू की है।

देश में यह पहला अवसर है जब इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पूर्व तो जांच के लिए स्वीकृति तक मिलना आसान नहीं था।

वास्तविकता यह है कि इस राष्ट्र को जितना आक्रांताओं ने नहीं लूटा, उससे कहीं अधिक राजनेताओं और अधिकारियों ने लूटा है। ज्यों ही किसी नई सरकार का गठन होता है, सर्वप्रथम अपने विश्वसनीय एवं आज्ञाकारी लोक सेवकों (आरएएस व अन्य) को अपने पास स्थानांतरण कर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम भी लूटो और हमारे लिए भी लूटो। आजादी के बाद से ही यह परम्परा चालू हो गई थी जो आज तक जारी है। परिणामस्वरूप पिछले 25-30 वर्षों में देश में भ्रष्टाचारों एवं घोटालों का एक इतिहास बन गया है। ये घोटाले लाखों के नहीं बल्कि अरबों के हुए हैं और उन पर कभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। देर आये दुरस्त आये।

विदेशी मनीऑर्डर पाने में बाजी मारी भारत ने

न्यूयार्क। दुनिया भर में काम करने वाले भारतीयों ने बीते साल 62.7 अरब डॉलर स्वदेश भेजे जो इसी अवधि में चीन समेत किसी अन्य देश को मिले विदेशी मनी-ऑर्डर में सबसे ऊपर रहा। संयुक्त राष्ट्र की इकाई कृषि विकास के लिए अन्तरराष्ट्रीय कोष आईएफएडी ने अपने एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है।

इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के कुल लगभग 20 करोड़ प्रवासियों ने 2016 में अपने अपने घरों को कुल 445 अरब डॉलर धन प्रेषित किया। इससे दुनिया में लाखों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर आने में मदद मिली। रपट में कहा गया है कि बीते दशक में रेमिटेंस प्रवाह औसतन 4.2 फीसद वार्षिक की दर से बढ़ा है और यह 2007 में 296 अरब डॉलर से बढ़कर 2016 में 445 अरब डॉलर हो गया।

अपनी तरह के इस अध्ययन में 2007 से 2016 के दस साल में विस्थान व रेमिटेंस प्रवाह का विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार आलोच्य अवधि में विदेशों से प्रवासियों की ओर से भेजे गए कुल मनी ऑर्डर का 80 फीसद धन 23 देशों को मिला। इनमें भारत, चीन, फिलिपीन, मेक्सिको व पाकिस्तान प्रमुख हैं। वहीं जिन देशों से सबसे अधिक मनी ऑर्डर भेजे गए उनमें अमेरिका, सउदी अरब व रूस प्रमुख हैं।

अध्ययन के अनुसार 2016 में भारत विदेश से सबसे अधिक मनीऑर्डर पाने वाला देश रहा। उसे 62.7 अरब डॉलर धन मिला। उसके बाद चीन का नम्बर रहा जिसे कुल 61 अरब डॉलर की राशि मिली। इसके बाद फिलिपीन को 30 अरब डॉलर व पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर धन मिला। इसके अनुसार 2007-2016 के दशक में भारत ने विदेशी मनी ऑर्डर पाने के मामले में चीन को पछाड़ दिया।

दिमाग को बीमार कर सकता है मोबाइल रेडिएशन

नई दिल्ली। डॉक्टरों का कहना है कि मोबाइल का बढ़ता इस्तेमाल वयस्कों में मस्तिष्क ट्यूमर की वजह बन सकता है। विशेषज्ञों ने इसके प्रभावों का ब्यौरा देते हुए दावा किया है कि मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से कई तरह के कैंसर होते हैं। इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर के डॉक्टर कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर और अन्य तरह के कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे मोबाइल का व्यापक उपयोग है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी एक अहम जोखिम कारक के रूप में काम कर रहे हैं।

न्यूरोलॉजी के विभागाध्यक्ष ए.के. साहनी का कहना है कि 2011 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 2 बी कार्सिनोजेन के रूप में मोबाइल विकिरण को वर्गीकृत किया था। मोबाइल संभावित हानिकारक रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) विकीरण का उत्सर्जन करते हैं। मोबाइल एंटीना के पास के ऊतक इस वायरलेस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिससे ध्वनि न्यूरोमा, ग्लियोमा सहित कई प्रकार की न्यूरोलॉजीकल समस्याएं हो सकती हैं और विभिन्न प्रकार के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। मोबाइल के विकिरण में हमारे शरीर में घुसने और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। मोबाइल का अधिक उपयोग संपूर्ण ऊर्जा स्तर, भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक व्यवहार और शरीर के पाचन तंत्र पर भी असर डालता है।

मोबाइल विकिरण के कैंसर कारक प्रभाव अब अच्छी तरह से देखे गए हैं और उनके विकास में तेजी लाकर विभिन्न न्यूरोलॉजिकल रोगों को भी चिकित्सकीय रूप से समझाया गया है। मोबाइल आमतौर पर इस्तेमाल होने के बाद सिर के पास रखा जाता है। मुख्य चिंता यह है कि यह मस्तिष्क में (कैंसरग्रस्त) ब्रेन ट्यूमर जैसे ग्लियोमास, मस्तिष्क के गैर-कैंसर वाले ट्यूमर जैसे लार ग्रंथियों के ट्यूमर का कारण बन सकता है।

डॉ. साहनी कहते हैं कि कई कारक हैं जो आरएफ ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। अहम सवाल यह है कि क्या आप फोन पर बात करते हैं तो स्पीकर मोड या हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करते हैं? अलग-अलग फोन ऊर्जा की अलग-अलग मात्रा छोड़ते हैं, जबकि मोबाइल विकिरण से सुरक्षा का सबसे प्रभावी तरीका पूरी तरह से बचना है, पर यह हमेशा संभव नहीं हो सकता है। हमें हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और विशेष रूप से मोबाइल के स्वास्थ्य उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि हम आभासी नहीं वास्तविक दुनिया में रहें। इससे मस्तिष्क के कैंसर का जोखिम कम करने में भी सहायता मिल सकती है।

ऐसे बरतें सावधानी

- विभिन्न निर्माताओं की ओर से मोबाइल की एसएआर (विशिष्ट अवशोषण दर) रेटिंग उपलब्ध है। न्यूनतम एसएआर वाला मोबाइल खरीदें।
- मोबाइल पर कम से कम बात करें, अगर जरूरी हो तो लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करें।
- मोबाइल को अपनी जेब में या शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण अंग के करीब न रखें। बात करते समय मोबाइल को एक कान से दूसरे कान की ओर बदलते रहें।
- अगर संभव हो, कॉल करने के बजाय टेक्स मैसेज का इस्तेमाल करें।
- बिस्तर पर जाने से पहले और उठने के बाद दो घंटे तक मोबाइल का उपयोग करने से बचें।

समाचार पत्रों की विश्वसनीयता कायम : प्रणब

कोलकाता। स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही है। समाचार पत्रों की विश्वसनीयता कायम है। अखबार राजनीति के अपरिहार्य अंग हैं। राजनीति से समाचार पत्रों का सम्बन्ध जल से मछली की तरह है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कोलकाता प्रेस क्लब द्वारा बांग्ला समाचार पत्रों के प्रकाशन के 200 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में ये बातें कहीं।

प्रणब ने कहा कि उनका कोलकाता प्रेस क्लब में आना-जाना रहा है। एक संवाददाता जब खबर लिखता है तो वह उसका व्यक्तिगत मत नहीं होता है बल्कि वह समाज की बात को रिपोर्ट के जरिये पेश करता है। इसलिए पत्रकार की लेखनी को हमेशा महत्व मिलता है और उसकी विश्वसनीयता बनी रहती है। राष्ट्रपति ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य नए समाचार माध्यम आज प्रचलन में आए हैं, लेकिन समाचार पत्र प्रचार-प्रसार के परम्परागत माध्यम हैं। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि समाज पर सोशल मीडिया का प्रभाव तेजी से पड़ रहा है। प. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। कार्यक्रम में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी तथा ममता के उपस्थित होने की बात थी। राज्यपाल तो उपस्थित थे, लेकिन मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुई। हालांकि उन्होंने अपने मंत्री सुब्रत मुखर्जी को कार्यक्रम में भेजा था। राष्ट्रपति ने जीएसटी लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रशंसा की थी। चर्चा है कि उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया।

विदेशी सहायता की जानकारी नहीं दे रहे 3768 एनजीओ

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने विदेशी सहायता से सम्बन्धित बैंक खातों का ब्यौरा नहीं दे रहे एनजीओ को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी है। साथ ही सरकार ने देश भर में पंजीकृत उन 3768 गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों (एनजीओ) को मिल रही विदेशी सहायता को एक ही बैंक खाते में जमा कराने और इसका ब्यौरा सरकार को मुहैया कराने का निर्देश दिया है। मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि नियमानुसार विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे एनजीओ को विदेशी सहायता नियमन कानून (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण कराना, एक ही बैंक खाते में विदेशी सहायता प्राप्त करना और इस खाते को प्रमाणित कराना अनिवार्य होता है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव मुकेश मित्तल ने बताया कि सभी संगठनों को उनके विदेशी सहायता खातों को प्रमाणित कराने, खाते का विवरण, बैंक शाखा और खाता नंबर आदि जानकारी देने को कहा गया है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार फेरा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुये पिछले तीन साल में दस हजार एनजीओ का पंजीकरण रद्द कर चुकी है। ये सभी संगठन फेरा के तहत अपना सालाना आय-व्यय का ब्यौरा सरकार को मुहैया कराने में नाकाम रहे जबकि फेरा के उल्लंघन के दोषी पाये गये 1300 से अधिक एनजीओ के पंजीकरण का नवीनीकरण आवेदन खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा लगभग 6000 एनजी को मंत्रालय ने कोर बैंकिंग सुविधा वाले बैंक खाते खुलवाने का निर्देश देते हुए इन्हें बैंक खातों का विवरण देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने यह कार्रवाई उस रिपोर्ट के आधार पर की है जिसमें कहा गया है कि अधिकांश संगठनों ने सहकारी या ऐसे सरकारी बैंकों में खाते खुलवाये हैं जिनमें इंटरनेट आधारित कोर बैंकिंग सुविधा नहीं है।

लाखों गांवों के करोड़ों बेरोजगार युवा

वेद व्यास

❁ नया भारत आज की तारीख में 134 करोड़ देवी-देवताओं से लैस है। इसमें से 65 करोड़ युवा हैं जो 35 वर्ष से कम आयु के हैं। इधर नये भारत में कोई 8 लाख 40 हजार गांव हैं और इनकी अधिकतर आबादी बेरोजगार है, कर्ज में डूबी है, भूमिहीन परिवार अधिक हैं, रहने को कच्चा मकान तक नहीं है। अधिकांश गांवों में सड़क, पीने का पानी, स्वास्थ्य सेवा, स्कूल और महिलाओं तक के लिए शौचालय तक नहीं है। लेकिन नया भारत एक बात में दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है कि यहां सभी लाखों गांवों में देवालय अवश्य बना हुआ है और बेरोजगारों की फौज नल, जंगल और जमीन की चौकीदारी में गांवों से शहर और शहरों से राजधानी और राजधानी से लाल किले तक अफरा-तफरी में भटक रही है।

❁ सच ये है कि लाखों गांवों के करोड़ों युवा बेरोजगारी की महामारी के शिकार हैं और कोढ़ में खाज की तरह 1990 से लेकर अब तक या तो आत्महत्याएं कर रहे हैं या फिर अपराधी बन रहे हैं। या फिर राजनीति में भाड़े के सैनिक बनकर असंतोष, अराजकता, विक्षोभ और लूटपाट करने वाली धर्म-जाति की वाहिनी तथा रक्षक दल बनकर लोकतंत्र को, राष्ट्रवाद में बदल रहे हैं। अब ये बात सामने आ गई है कि 2014 में नये भारत का जनादेश बनाने वाली गांवों में युवा बेरोजगारों की फौज ही थी जो विकास, धर्म-जाति बचाने की रामदुहाई लेकर 'सोशियल मीडिया' पर सपनों का तूफान मचा रही थी। ये इस विश्वास में थी कि कांग्रेस जायेगी तभी अच्छे दिन आयेंगे।

❁ लेकिन भारत के ग्रामीण युवा बेरोजगारों की आज की विडम्बना ये है कि नये भारत की नई सरकार नोटबंदी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जन-धन खाता, स्वच्छता मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, काला धन मिटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ जैसी सैंकड़ों योजनाओं तथा धूमधाम के बाद भी आज ये तक नहीं बता रही है कि विकास दर 7 प्रतिशत ले जाने के बाद भी गैर खेती-किसानी क्षेत्र में भी एक प्रतिशत से ज्यादा नौकरियां क्यों नहीं दे पा रही है? अमरीका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद स्थिति ये हो रही है कि सूचना प्रौद्योगिक (आईटी) में भारत युवाओं का भविष्य अंधकार में फंसता जा रहा है और भारत में विदेशी पूंजी निवेश के अकाल से- नये रोजगार खत्म हो रहे हैं तथा ग्रामीण युवाओं में भारी निराशों और उत्पाद-उपद्रव बढ़ रहे हैं। एक सरकारी जानकारी के अनुसार अकेले राजस्थान में पिछले तीन साल में सबसे अधिक धरने, प्रदर्शन, सड़क बंदी, पुलिस मुठभेड़ और पत्थरबाजी भी युवा बेरोजगारों ने ही किये हैं जबकि विपक्षी दलों की राजनीति सांप-छछुन्दर हो गई है और सभी तरफ पुलिस, आबकारी, गौ रक्षक और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का जलवा मीडिया में पसरा हुआ है। यहां तक कि स्थानीय टीवी चैनल और अखबार भी घर-गृहस्थी की वारदातों, थाना-कचहरी की रपट और पुलिस कांस्टेबलों के बयानों से ही भरे पड़े हैं। अभी हमने राजस्थान की ग्रामीण पत्रकारिता के वरिष्ठ साथी बद्री प्रसाद ढ़ाका की महत्वपूर्ण शोधपूर्ण पुस्तक 'ग्राम युवा' पढ़ी तो पता चला कि हम पूरी तरह घाटे की खेती में, कर्ज के जालों और शराब चोरी-डकैती और कम्पनियों की खुली लूट के कारोबार में इतने बुरे फंस गये हैं कि युवाओं के रोजगार तो दुर्लभ हैं और युवा ग्रामीण आसपास के शहरों-कस्बों में आकर लूटपाट और मार-धाड़ का कारोबार चला रहे हैं। बद्री प्रसाद ढ़ाका 70 पार के पत्रकार (संपादक-ग्राम बजट) हैं और शहरी अर्थशास्त्रीयों से अधिक गांवों और युवाओं की बेरोजगारी को लेकर बताते हैं। चारों तरफ सामाजिक-आर्थिक असमानता बढ़ रही है, शहरी मीडिया एवं सोशियल मीडिया पर बाजार, सरकार और धर्म-पाखण्ड का शोर फैल रहा है तो बेरोजगारों की भीड़ और आतंक ने गांवों में पंचायतीराज को निष्फल कर दिया है। जातीय गुटों और साम्प्रदायिक उन्माद से नया भारत विकास की दौड़ में अस्थिर हो रहा है। एक भूचाल और विप्लव ग्रामीण युवा बेरोजगारों में छाया हुआ है। जम्मू-कश्मीर, नक्सलवाद, दलित, महिला, आदिवासी उत्पीड़न दूर-दराज के गांवों में बढ़ रहे हैं क्योंकि खेत किसान और मजदूर आपस में ही एक-दूसरे को मार रहे हैं और मर रहे हैं।

❁ हमें आश्चर्य तो ये लगता है कि नई राजनीति का नया भारत केवल शहरों तक सिमट गया है और बेरोजगारी की समस्या को कोई समझना ही नहीं चाहता। और पुलिस-फौज सिपाही को ही आर्थिक बदहाली से निपटने की जिम्मेदारी अब दे दी गई है। गांवों में युवा बेरोजगारी का ऐसा हाल है कि विकास और सद्भाव का आधार ही मिट रहा है। हम आंकड़ों से सच्चाई की आंख में धूल नहीं झोंकना चाहते और केवल ध्यान दिलाना चाहते हैं कि भारत की बदहाली को जानने के लिए नये भारत के निर्माताओं को अपने पांवों तले की आग को देखना चाहिए। क्योंकि मोर नाचता है तो सुन्दर लगता है, लेकिन जब वह अपने पांवों की तरफ देखता है तो रोता है।

❁ ग्रामीण भारत के करोड़ों बेरोजगार अभी मुक्त बाजार और टेक्नॉलॉजी की जादूगरी से अराजकता की तरफ जा रहे हैं क्योंकि गैर बराबरी कम नहीं हो रही है तथा भूखा-नंगा आदमी गायमाता, गंगामाता और गीता माता की माला जपता हुआ तथा राष्ट्र ऋषियों के मंत्र और धर्म संसद के प्रवचन सुनते-सुनते पागल होता जा रहा है। अत: समय रहते गांवों के युवा बेरोजगारों तक कोई दाल-रोटी का जुगाड़ करिये।

योग का जीवन में महत्व

ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी, पहले धर्मों या आस्था के जन्म लेने से काफी पहले हुई थी। योग विद्या में शिव को पहले योगी या आदि योगी तथा पहले गुरू या आदि गुरू के रूप में माना जाता है।

योग तत्वत: बहुत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक विषय है जो मन एवं शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान देता है। यह स्वस्थ जीवन यापन की कला एवं विज्ञान है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है जिसका अर्थ जुड़ना या एकजुट होना या शामिल होना है। योग से जुड़े ग्रंथों के अनुसार योग करने से व्यक्ति की चेतना ब्रह्माण्ड की चेतना से जुड़ जाती है जो मन एवं शरीर, मानव एवं प्रकृति के बीच परिपूर्ण सामंजस्य का द्योतक है।

जिस प्रकार योग प्राचीन भारतीय परम्परा एवं संस्कृति की अमूल्य योगदान है ठीक उसी प्रकार योग अभ्यास, शरीर, मन-विचार, कर्म, आत्मसंयम एवं पूर्णता एकात्मता तथा मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है तथा यह स्वास्थ्य एवं कल्याण का पूर्णतावादी दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व खोजने का भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अन्दर जागरूकता उत्पन्न करता है तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक हो सकता है।

योग के एक नए संकल्प के साथ 27 सितम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यू.एन.जी.ए) के 69वें सत्र को सम्बोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी ने विश्व समुदाय से अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। उनके आह्वान पर 11 दिसम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने रिकॉर्ड 177 सह-समर्थक देशों के साथ 21 जून को ''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'' मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। अधिकारिक घोषणा के बाद भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 21 जून, 2015 को नई दिल्ली स्थित राजपथ में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफल आयोजन किया।

योग अभ्यास केलिए दिशा-निर्देश

अभ्यास से पूर्व

❑ शौच- शौच का अर्थ शोधन, यह योग अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण एवंपूर्व अपेक्षित क्रिया है। इसके अन्तर्गत आसपास का वातावरण, शरीर एवंमन की शुद्धि की जाती है।

❑ योग अभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करके किया जाना चाहिए।

❑ योग अभ्यास खाली पेट अथवा अल्पाहार लेकर करना चाहिए। यदि अभ्यास के समय कमजोरी महसूस हो तो गुनगुने पानी में थोड़ी सी शहद मिलाकर लेना चाहिए।

❑ योग अभ्यास मल एवं मूत्र का विसर्जन करने के उपरान्त प्रारंभ करना चाहिए।

❑ अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी, कंबल अथवा योग मैट का प्रयोग करना चाहिए।

❑ अभ्यास करते समय शरीर की गतिविधि आसानी से हो, इसके लिए सूती व हल्के आरामदायक वस्त्र पहनना चाहिए।

❑ थकावट, बीमारी, जल्दबाजी एवं तनाव की स्थिति में योग नहीं करना चाहिए।

❑ यदि पुराने रोग, पीड़ा एवं हृदय सम्बन्धी समस्याएं हों तो ऐसी स्थिति में योग अभ्यास शुरू करने के पूर्व चिकित्सक अथवा योग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए।

❑ गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए।

अभ्यास के समय

❍ अभ्यास सत्र प्रार्थना अथवा स्तुति से प्रारम्भ करना चाहिए क्योंकि प्रार्थना अथवा स्तुति मन एवं मस्तिष्क को विश्रांति प्रदान करने के लिए शान्त वातावरण निर्मित करते हैं।

❍ योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में शरीर एवं श्वास-प्रश्वास की सजगता के साथ धीरे-धीरे प्रारम्भ करना चाहिए।

❍ अभ्यास के समय श्वास-प्रश्वास की गति नहीं रोकनी चाहिए, जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए विशेष रूप से कहा न जाए।

❍ श्वास-प्रवास सदैव नासारन्ध्रों से ही लेना चाहिए, जब तक कि आपको अन्य विधि से श्वास प्रश्वास लेने के लिए न कहा जाए।

योग से लाभ

अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के एक सफल विकल्प हैं, खास तौर से वहां जहां आधुनिक विज्ञान आज तक उपचार देने में सफल नहीं हुआ है।

योग करें और जीवन को सफल बनाएं

अरुण कुमार सिन्हा
गुरूग्राम

अपराधी प्रिय...

(पृष्ठ एक का शेष)

महिलाओं पर हमलों से जग जाहिर है।

हमारे नीति निर्माताओं का विचार है कि एक सशक्त बलात्कारी के लिए 7 वर्ष की सजा पर्याप्त नहीं है इसलिए इसे 10 वर्ष कर दिया जाए। हमें सर्व प्रथम हमारी न्यायिक प्रणाली की समस्याओं को समझना होगा। एक न्यायार्थी के तौर पर यह अनुभव रहा है कि हमारी न्यायिक प्रणाली निम्न कारणों से निष्प्रभावी और काम से बोझिल है –

1. न्यायालयों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष झूठ बोलने के लिए कोई दंड नहीं दिया जाता है।
2. यह मुकदमेबाजी के अधिकार की रक्षा करता है बजाय न्याय के अधिकार की व कानून और डिक्री की अनुपालना को प्रोत्साहित नहीं करता।
3. ज्यादातर मामले इसलिए दायर किये जाते हैं ताकि विपक्षी परेशान, हैरान हो और वह व्यस्त रहे क्योंकि इनमें अनिश्चित समय लगता है।
4. सम्पति सम्बंधित महत्वपूर्ण मामलों, जमानत के मामलों में विवेकाधिकार से अन्याय, विलम्ब और भ्रष्टाचार होता है। गायत्री प्रजापति का मामला ताज़ा उदाहरण है।
5. कानूनी अपेक्षाओं के स्थान पर कुछ अकर्मण्य परिपाटियाँ।
6. किसी भी राज्याधिकारी या न्यायिक अधिकारी के दायित्व का अभाव।

ऐसा प्रतीत होता है भारतीय कानून में दंड संहिता की धारा 193 मात्र एक ही प्रावधान है जो न्यायालय में झूठ के लिए दण्डित करने के विषय में है। जहां तक मुझे ज्ञात है इस प्रावधान का यदा कदा ही उपयोग होता है जबकि प्रत्येक न्यायालय में प्रत्येक मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऐसा होता है। न्यायालय यह सब देखते हैं और उनके निर्णयों पर इन झूठों का ज्यादा असर नहीं पड़ता किन्तु एक कमजोर पक्षकार विलम्ब करने के अपने मंतव्य में सफल हो ही जाता है और न्यायालय का अमूल्य समय बर्बाद होता है। और जो इस उद्देश्य में आसानी से सफल होता है वह दूसरे लोगों को भी यही रास्ता अपनाने को प्रेरित करता है। इसका समाधान यही है कि जब भी एक पक्षकार का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष झूठा आवेदन या साक्ष्य ध्यान में आये तो धारा 193 के प्रावधान को तुरंत निरपवाद रूप से अमल में लाया जाए और वकील पर भी आरोप लगाया जाए।

जिस प्रकार सरकार चूककर्ता व स्वेच्छिक चूककर्ता में विभेद नहीं कर पाती ठीक उसी प्रकार हमारा कानूनी ढांचा मुक़दमे का अधिकार व न्याय के अधिकार में भेद नहीं कर पाता है। न्यायिक दृष्टान्तों से वास्तव में मुक़दमे के अधिकार की रक्षा के उद्देश्य से विधायिकीय कानून को उल्ट दिया जाता है। उदाहरण के लिए धारा 69 में प्रावधान है कि एक अपंजीकृत साझेदारी फर्म द्वारा किसी तीसरे पक्षकार के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता किन्तु सामान्यतया न्यायिक दृष्टान्तों की आड़ में ऐसे वाद लाये जाते रहते हैं और वे अनिश्चित काल तक चलते रहते हैं। न्यायिक दृष्टान्तों में ऐसे दोष को बाद में दूर करने की छूट दी जाती रहती हैं जबकि कानून में इसके विपरीत प्रावधान हैं तो फिर बाद में पंजीयन के द्वारा ऐसे दोष के निवारण का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। विशेष अनुतोष अधिनियम में सम्पति सम्बंधित मामले तब भी दायर किये जाते हैं जबकि वादकर्ता के पास ऐसा कोई अधिकार भी नहीं होता है। ऐसा मात्र इसलिए किया जाता है ताकि वे सम्पति को विवादित बनाए रख सकें और विरोधी को अपनी शर्तों को मानने के लिए मजबूर कर सकें। वादी को सिर्फ यह करना है कि वह करार का अपना भाग पूर्ण करने के लिए इच्छुक और सक्षम है, उसे यह साबित करने की आवश्यकता नहीं, मात्र इतना कहने से ही वह वाद को दसों वर्षों को तक खेंच सकता है।

ठीक इसी प्रकार कानून चाहता कि चेक अनादरण एक अपराधिक मामला समझा जायेगा। बहुत से ऐसे मामले प्रकाश में है जिनमें अपील में सिर्फ न्यायालय उठने तक की सजाएं दी जाती हैं। जिससे यह सन्देश जाता है कि चेक अनादरण के लिए सजा से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है अपितु अन्वीक्षण न्यायालय के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील में जाएँ। विधायिका को चाहिए कि प्रत्येक अपराध के लिए अधिकतम के साथ साथ न्यूनतम सजा भी निर्धारित करे। इस प्रकार मुकदमेबाजी अपनी जिम्मेदारियों को टालने का प्रसन्नताकारक और सस्ता तरीका है। एक ऋणी मुकदमा हारने के बावजूद भी वास्तव में जीतता है। न्यायालय को कभी आक्रोश नहीं आता कि अमुक ऋणी ने उसके आदेश का पालन नहीं किया। निर्धारित समय में भुगतान के लिए कोई सख्त निर्देश नहीं होता कि यदि अपील में रोक नहीं लगाई गयी तो भुगतान करना पड़ेगा। यदि समय पर निर्णय दिए जाने लगें तो आधे से अधिक मुकदमे तो न्यायालयों में आएंगे ही नहीं।

इसी प्रकार किरायेदारी के मुक़दमे मकान मालिकों के लिए दिवा स्वप्न ही हैं। उदाहरण के लिए बलात्कार के आरोपी की जमानत मशीनी रूप में अस्वीकृत कर दी जाती है, बिना इस बात पर गौर किये कि यदि उसे जमानत दे दी जाए तो क्या आरोपी इस अपराध की पुनरावृति कर सकता है, क्या वह भाग सकता है, क्या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है आदि? इसके अतिरिक्त कोई अन्य बात से जमानत पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अपराध की गंभीरता असम्बद्ध है यदि आरोपी द्वारा आरोप की पुनरावृति की संभावना नहीं हो। दंड की शुरुआत दंडादेश पारित किये जाने से प्रारम्भ होती है और जमानत इनकारी को दंड के विकल्प रूप में नहीं माना किया जाना चाहिए किन्तु हमारी प्रणाली इस सुस्थापित सिद्धांत के विपरीत कार्य करती है कि एक अभियुक्त तब तक निर्दोष है जब तक कि वह संदेह से परे दोषी साबित नहीं हो जाए। जेल नहीं बल्कि जमानत का नारा भी कागजी ही लगता है। कुछ न्यायालय तो यहाँ तक आदेश करते हैं की मामले के गुणावगुण में जाए बिना अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अस्वीकार की जाती है। यदि यही कानून है तो फिर दंड संहिता में एक धारा ही जोड़ दी जाए कि बलात्कार, हत्या और अन्य विशेष संगीन अपराधों में कोई जमानत मंजूर नहीं की जायेगी जिससे समय और धन की बचत होगी। ताकि अभियुक्त जेल में लम्बे समय तक रहने और उसका परिवार उसके बिना रहने का मानसिक रूप से अभ्यस्त हो जाए। हम सिर्फ यही कहते हैं कि ऐसी परम्परा है। विवेकाधिकार, भ्रष्टाचार और दादागिरी को जन्म देता है। कुछ न्यायाधीश जमानत आवेदन अस्वीकार करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं और वकील उनका दूसरी बेंच में स्थानान्तरण होने का इंतज़ार करते हैं ताकि वे जमानत आवेदन दायर कर सकें। किसी भी कानूनी प्रणाली में ऐसा क्योंकि एक जमानत आवेदन न्यायाधीश क स्वीकार करे और ख इनकार? जब दंड प्रक्रिया संहिता में जमानत लेने के लिए एक पुलिस अधिकारी ही सशक्त है तो फिर जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय तक क्यों जाना पड़े? जब समान कानून और परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय जमानत दे देता है तो फिर निचले न्यायालय और पुलिस अधिकारी इन्कार क्यों करते हैं? आस्ट्रेलिया में जमानत के लिए 75 धाराओं वाला अलग कानून है और जमानत एक अभियुक्त का अधिकार है। किन्तु भारत में पुलिस और वकील मिलकर इस स्थिति को खुलम खुल्ला भुनाते हैं और माल कूटते हैं। मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि हमारे कानून में ऐसा प्रावधान क्यों है कि उसे जमानत दे दी जाए तो क्या आरोपी इस अपराध की पुनरावृति कर सकता है, क्या वह भाग सकता है, क्या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है आदि तक ही विचारण को सीमित क्यों नहीं रखा जाता? यदि इन प्रश्नों का उत्तर ना में हो तो उसे जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए? इससे न्यायालयों का पर्याप्त समय बचेगा और जनता को अन्याय से पर्याप्त मुक्ति मिलेगी।

यद्यपि एक व्यथित पक्षकार आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है किन्तु क्या इससे एक न्यायिक अधिकारी को इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि वह बिना बुद्धि का प्रयोग किये और उचित, तर्कसंगत व सही निर्णय नहीं दे? यह तब तक अनवरत जारी रहेगा जब तक कि उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाये। यद्यपि कई बार कनिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर निंदा प्रस्ताव पारित किये जाते हैं किन्तु फिर भी वे उस पद को धारण करते रहते हैं। उनकी सुस्थापित अक्षमता के बावजूद उन्हें लोगों को लगातार हानि पहुंचाते रहने के लिए खुला छोड़े रखा जाता है। प्रत्येक अपील के निस्तारण में यह निरपवाद रूप से निर्णित किया जाना चाहिए कि क्या विक्षेपित आदेश पारित करते समय अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का उचित, तर्कसंगत और सही पालन किया है? यदि नहीं तो फिर पदावन्नति अवश्य होनी चाहिए। यह नियम सभी अपीलों में, चाहे न्यायालय हों या विभागीय ट्रिब्यूनल सभी पर सामान रूप से लागू होना चाहिए। इससे कनिष्ठ अधिकारियों को विवश होकर उचित निर्णय देने पड़ेंगे और अपीलों की संख्या में भारी कमी आएगी। वे अधिकारीगण जो जनता से वसूले गए करों से अपना वेतन पाते हैं उनके इस विश्वास को गत 70 वर्षों से अनुचित संरक्षण दिया जा रहा है कि वे कुछ भी करें उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है क्योंकि उनके ऊपर उनके माई बाप बैठे हैं जिनके लिए वे रातदिन कमा रहे हैं।

यदि सिंगापपुर के न्यायालय कुछ दिनों में निर्णय दे सकते हैं तो फिर ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि भारत के न्यायालय ऐसा क्यों नहीं कर सकते? देश का आकार तो इस विषय में असंगत है क्योंकि सामान्यतया एक न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार तो लगभग एक तहसील तक सीमित है। वास्तव में देखा जाए तो हमारी विधायिका का न्याय देने का कभी कोई आशय रहा ही नहीं बल्कि उनका उद्देश्य तो अपनी मशीनरी का संरक्षण करना और सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना रहा है। जब निर्भया काण्ड के बाद जनता सड़कों पर उतरी तो एक महीने में कानून में संशोधन कर दिया जबकि उपभोक्ता संरक्षण में संशोधन का मुद्दा गत दस वर्षों से लंबित है। पशुओं पर निर्दयता निवारण के लिए चालीस वर्ष पहले कानून बना दिया गया किन्तु सस्ती लोकप्रियता और वोटों की छद्म राजनीति की संक्रामक बिमारी से ग्रस्त हमारी विधायिकाओं को मनुष्यों पर वैसी ही निर्दयता के निवारण के लिए कानून बनाने का आज तक समय नहीं मिल पाया है। लगभग प्रत्येक कानून में यह प्रावधान कर रखा है कि इस कानून के तहत सद्भाविक रूप से की गयी कार्यवाही के लिए किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। जबकि कार्यवाही सद्भाविक होने पर ऐसे संरक्षण के लिए अलग से प्रावधान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसके स्थान पर प्रावधान यह होना चाहिए कि इस कानून के तहत कार्यरत प्रत्येक अधिकारी समय पर, उचित व सही निर्णय और कार्यवाही के लिए जवाबदेय होगा। इससे प्रशासन, पुलिस और न्यायिक विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता पर पर्याप्त अंकुश लगेगा और ऐसा करना पूर्णतया लोकतान्त्रिक मूल्यों के अनुकूल होगा।

एक न्यायाधीश ने कहा है कि जिसके पास पैसा नहीं हो उसके लिए न्याय की अपेक्षा करना ही गुनाह है। मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा है कि लोगों में न्यायालयों के प्रति बड़ा आक्रोश और अविश्वास है और वे लोग जिनके कोई विवाद हैं उनमें से मात्र 10 प्रतिशत ही न्यायालय आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि मात्र 1 प्रतिशत मामलों में ही न्याय होता है। गुजरात उच्च न्यायाल के सेवानिवृत न्यायाधीश बी. जे. सेठना ने भी कहा है कि उग्रवाद का पोषण देश में सिर्फ उग्रवादी ही नहीं करते अपितु न्यायपालिका भी करती है। जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई के समय विडिओ रिकार्डिंग की जाती है तो फिर देश के न्यायालयों को इससे परहेज क्यों है? क्यों इसे अवमान माना जाता है? सभी न्यायालयों में विडिओ रेकार्डिंग व्यवस्था से न्यायाधीशों और वकीलों की मिलीभगत व दादागिरी दोनों पर अंकुश लग सकता है। न्यायालयों के लिये यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे पक्षकारों द्वारा उठाये गए सभी प्रश्नों पर अपना निर्णय देंगे।

अक्सर देखा जता है की आपराधिक मामलों में पुलिस वाले न तो स्वयं उपस्थित होते और न ही साक्ष्य समय पर प्रस्तुत करते हैं जिससे मामले लम्बे चलते हैं। डरपोक और लालची मजिस्ट्रेट भी अपने आप को असहाय पाते हैं और वे पुलिस अधिकारियों को अर्ध-शासकीय पत्र लिखकर अपना अपार स्नेह और कृपा दृष्टि जाहिर करते हैं। यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है फिर भी यह मिलीभगत का एक अनूठा नमूना है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अंतर्गत ऐसे पुलिस अधिकारी को उपस्थित होने को आदिष्ट किया जाना चाहिए और यदि वह अनुपालना नहीं करे तो उसे धारा 349 के अंतर्गत कारावास में भेजा जाना चाहिए किन्तु 130 करोड़ की जनसंख्या वाले स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण मिलना दुर्लभ है।

दंड प्रक्रिया व सिविल प्रक्रिया संहिता दोनों में संक्षिप्त कार्यवाही के प्रावधान हैं और मामलों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से इसमें शामिल मामलों की सूची को और बढ़ाया जा सकता। जहां कहीं भी कोई प्रक्रियागत कानून व्यवधानकारी लगते हों तो न केवल राज्य और केन्द्रीय विधायिका बल्कि सम्बंधित राज्य उच्च न्यायालय भी इनमें संशोधन के लिए सक्षम हैं। जहां तक गुणवता का प्रश्न है मुझे तो न्यायिक अधिकारियों या विभागीय ट्रिब्यूनल के निर्णयों या पूर्ण अन्विक्षा और संक्षिप्त अन्विक्षा दोनों में ही गुणवता गायब दिखाई देती है। मुश्किल से कोई 10 प्रतिशत मामले ऐसे हो सकते हैं जिनके निर्णयों में गुणवता की झलक मिलती है शेष तो लगभग कोरी औपचरिकता मात्र होते हैं। अब समय आ गया है जब समस्त पक्षकारों को अपना दायित्व समझना चाहिए और इस व्यवस्था के शुद्धिकरण में अपना योगदान देना चाहिए जिससे सशक्त और समृद्ध भारत का सपना साकार हो सके।

खरी-खरी

रिजर्व बैंक की संवैधानिक-कानूनी स्थिति की रक्षा जरूरी

डॉ. मानचन्द खण्डेला 9462817770
E mail :
manchandkhandela.@gmail.com

भारत के संविधान के निर्माण के समय भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही संवैधानिक कही जाने वाली सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग, राज्यपाल तथा रिवाज के अनुसार राष्ट्रपति जैसी संस्थाओं का गठन किया गया। जिसका सीधा मतलब है उनके कार्यों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हो। संविधान में उल्लेख नहीं होने के बावजूद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी गठन देश में मौद्रिक व्यवस्था के नियंत्रण, नियमन एवं संचालन हेतु किया गया। स्वाभाविक है उसका गठन संसद में एक अलग कानून बना कर किया गया। जिसमें सरकारें अपनी मर्जी से परिवर्तन तो कर सकती है। इसके लिए पूर्व निर्धारित कानूनी प्रक्रिया को अपनाना ही पड़ेगा। फिर भी रिजर्व बैंक इस एक्ट के दायरे में काम करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में इनके कार्यों में कार्यपालिका का बल्कि राजनैतिक हस्तक्षेप चिन्ता की बात है। रिजर्व बैंक के गवर्नर को साख निर्धारण समिति बना कर पहले ही कमजोर कर दिया गया है, अब तो सीधा हस्तक्षेप भी होने लगा है। जो वित्त मंत्री द्वारा बार-बार सरकारी बैंकों को दिये जाने वाले निर्देशों, बुलाई जाने वली बैठकों, ऋण पर ब्याज एवं एमपीए के संबंध में जारी वक्तव्यों, नोटबंदी के करीब आठ माह बाद भी पुराने नोटों की जमा एवं नये नोटों के निर्गमन के बारे में संपर्क सार्वजनिक नहीं करने, बैंकों के विलय पर आगे आकर फैसले करने, किसानों के कर्ज माफी के सम्बन्ध में बैंकों के उच्च अधिकारियों से प्रतिक्रिया अपनी पसंद के अनुसार दिलवाने जैसी बहुत-सी बातों से स्पष्ट है।

संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों को एक बार के लिये छोड़ भी दिया जाए तो मानना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक का देश की मौद्रिक व्यवस्था जो विकास का आधार है में महत्वपूर्ण स्थान है। जिसके इजाजत के बिना देश में किसी बैंक की स्थापना, बैंकों का विलय एवं विलोपन नहीं हो सकता है। यह बैंकों की लाभदायकता, तरलता एवं सुरक्षा को ध्यान में रख कर मौद्रिक नीतियों में समय-समय पर यथानुसार परिवर्तन करता है। जिससे देश में निवेश, बचत उत्पादन, रोजगार, ऋण जैसे प्रतक्षत: प्रभावित होते हैं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की सरकारी बाधा चिन्ताजनक स्थिति पैदा कर सकती है।

परम्परागत रूप से उत्पादन के पांच तत्व-भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमिता और प्रबंध होते हैं। उनके उत्पादन में भौतिक रूप से हुई घट-बढ़ से सकल घरेलु उत्पाद तथा मौद्रिक रूपान्तरण को सकल घरेलु आय कहा जाता है। सामान्यत: देश में विकास को इसी आधार पर मापा जाता है। स्वाभाविक है अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त के आधार पर तो आर्थिक विकास याने उत्पादन के पांच साधनों के विकास पर ही विकास की दर निर्भर करती है जिसे ही जीडीपी या जीएसपी के माध्यम से मापा जाता है। स्पष्ट है इनमें औसत रूप से जो परिवर्तन प्रतिशत रूप में होता है उससे ही औसत के आधार पर जीडीपी का निर्धारण किया जाता है। इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्व की बात यह ही है कि सरकारी रूप से जीडीपी वृद्धि दर को कुछ भी बताया जाता रहा हो लेकिन इसको 4.5 से 5.00 प्रतिशत ही मानने वाले अर्थशास्त्रियों एवं आर्थिक विश्लेषकों की भी कमी नहीं है। इस दृष्टि से यह यह विषय कुछ विशेष हो सकता है लेकिन रोजगार के अवसरों में अति न्यून वृद्धि निवेश में करीब शून्यता, प्रभावी मांग में लगातार हो रही कमी, प्रत्येक संभव प्रयत्न के बाद भी निर्यात में अति अल्प वृद्धि, बचत में संस्थागत आधार पर लगातार भारी कमी, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में स्थिरता बल्कि कहा जाए नकारात्मकता, बैंक ऋणों में भारी कमी, विदेशी निवेश मूलत: कमतर, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर पांच प्रतिशत वार्षिक से भी कम, अति खर्च वाली इवेन्ट्स में भारी कमी, कर संबंधी छापों की संख्या वृद्धि और नोटिसेज की भरमार, दो नम्बर की आर्थिक गतिविधियों में भारी कमी, चौतरफा कर भार व चौकसी के कारण बाजार में भौचक्कापन जैसे हकीकत से स्पष्ट हो जाता है कि देश में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है वह संदेह के घेरे में है।

रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पिछले साठ वर्षों में सर्वाधिक कम ऋण बैंकों से लिया या कहें दिया गया है, इस एक वर्ष में। इसका मतलब है कि बाजार में पूंजी की जरूरत बहुत कम है याने बाजार में पूंजी निवेश कम, रोजगार कम, उत्पादन कम, आय कम, बचत कम याने यह दुष्चक्र चल रहा है। तब ही तो वर्ष 2015-16 में कुल 1.14 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जजा सका तथा पिछले वर्ष तो यह संख्या करीब शून्य के बराबर है। जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिखाये गये भरोसे के अनुसार तो अभी तक न्यूनतम पांच करोड़ लोगों को रोजगार दिलवाया जा सकना चाहिए था। इसका एक अर्थ सीधे रूप में यह भी है कि बड़े उद्योगपतियों द्वारा बैंक ऋण लेकर निवेश नहीं करने के लिये ढ़ांचागत सुविधाओं के अभाव, नौकरशाही की नकारात्मकता बरकरार, देश में विभिन्न अन्य कारणों से प्रभावी मांग की कमी, कर विभागों द्वारा छापों के अधिक समाचार, सरकार द्वारा लाखों की संख्या में बैंक खातों की जांच की घोषणा, एक जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू हो जाने की उत्सुकता, राज्यों के राजस्व में कमी की व्यक्त आशंकाएं, विदेशी निवेशकों की बहुत धीमी हो चुकी रफ्तार जैसे कारण भी जिम्मेदार हैं। कारण चाहे कोई भी कम या अधिक प्रभाव वाले हो लेकिन इन सबसे देश में कम से कम विकास पर तो मोहर लग ही रही है।

रिजर्व बैंक का आंकलन सही है जो कि है तो बैंकों के लिये भी अधिक चिन्ता की बात है। क्योंकि वे एक तरफ एनपीए के बढ़ने, नोटबंदी के कारण अनावश्यक नकदी के आने, चाह कर भी बेहतर सेवा अच्छे ग्राहकों को नहीं दे पाने, करोड़ों की संख्या में बढ़े बिना जमा वाले खातों केकारण कर्मचारियों के कार्यभार में वृद्धि हो जाने, इसी कारण से कर्मचारी संगठनों द्वारा नई भर्ती एवं ओवर टाइम भुगतान की मांग करने, कर्मचारियों द्वारा वीआरएस के लिये अधिकाधिक आवेदन करने जैसे कारणों से अधिकांश बैंक परेशान हैं तो दूसरी ओर उनके सामने जमाओं के यथानुसार उपयोग एवं ब्याज भुगतान से जूझने की समस्या अप्रत्याशित रूप से आ गई है। यह स्थिति इतिहास में पहली बार हुई है कि बैंकों के पास उधार देने के लिये आवश्यक नकदी पड़ी है और लेने वालों का अकाल सा है। इसी कारण से बैंको ने हर सेवा पर शुल्क लेना शुरू कर दिया है, पैनल्टीज कई गुणा बढ़ा दी है, खातों में न्यूनतम जमा रखने का कई गुणा बढ़ा दिया है, नकद लेन-देन की सीमाएं कम व उससे अधिक पर शुल्क असामान्य कर दिया है। इससे लोगों का बैंकों के प्रति मोह भंग सा होता जा रहा है। यह अर्थव्यवस्था में सुगमता, सरलता एवं शीघ्रता से लेन-देन करने को बहुत कठिन व भारपूर्ण बनाता जा रहा है। रिजर्व बैंक ने इस समस्या के संबंध में जिस गंभीरता से चिन्ता व्यक्त की है उसके बहुआयामी परिणाम निकाले जा सकते हैं। इसका अर्थ हो सकता है कि वित्तीय स्थिति गड़बड़ा रही है, देश में विकास का वातावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, निकट भविष्य में सुधार की संभावनाएं न्यून ही हैं, बैंक मजबूर होकर विदेशों में निवेश या कम ब्याज दरों पर जमाएं लेने की नीति का निर्धारण करने जैसी योजनाओं पर विचार करना पड़ रहा है।

रिजर्व बैंक की घोषणा का सबसे चिन्ताजनक पहलु तो रोजगार के अवसरों में भारी कमी आने का है उसके आंकड़ों के अनुसार वर्तमान सरकार के प्रथम दो वर्षों में पूर्व सरकार के प्रथम दो वर्षों की तुलना में रोजगार करीब पांच गुणा कम बढ़े हैं। साथ ही कौशल विकास कार्यक्रम पर जो अरबों रुपये खर्च किये जा रहे हैं उससे इस कार्यक्रम से जुड़ी निजी महा कम्पनियों को ही लाभ मिल रहा है। क्योंकि इस कार्य में लगी प्रशिक्षण कार्य करने वाली कंपनियों पर रोजगार देने की किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, प्रशिक्षण के स्तर को जानने की मोनिटरिंग व्यवस्था शून्य सी है। कौशल विकास का अधार तो स्पष्टत: प्रशिक्षित लोगों के कार्य पर लग जाने, उनके द्वारा अपना जीवन यापन सही रूप से करने लग जाने, दूसरे लोगों को इस हेतु प्रेरित करने, ऐसे लोगों द्वारा भी रोजगार सृजन के अभियान में लगने, सरकारों पर इससे संबंधित वित्तीय भार लगातार कम हाते जाने का ही है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ऐसा होता लग नहीं रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा सबसे बड़ी प्रदर्शित चिंता नये उद्यमियों के बाजार में नहीं आने की है। स्टार्टअप योजना तो पूरी तरह कागजी बन कर रह गई है, हर बैंक न्यूनतम एक एसटी, एससी व महिला को ऋण दे यह नारा ही रह गया है, जितना विदेशी निवेश आ रहा है उसके बराबर बाहर जा रहा है इस बिजनिस की हालत यह है कि भारतीय विदेशों में व्यापार करना ज्यादा सुविधाजनक पा रहे हैं, अरबों रुपयों की बचतें पूंजी में परिवर्तित नहीं हो पा रही हैं, छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्योगपति अब तो अपनी उद्यमिता दिखाने के अवसरों को पा ही नहीं रहे हैं बल्कि पुराने उद्योग तेजी से बंद होते जा रहे हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं निर्यात क्षेत्र पर तो बात होना ही बंद सा हो गया है।

रिजर्व बैंक का अर्थव्यवस्था की स्थिति के संबंध में ऐसा वस्तुनिष्ठ आकलन भले ही चौंकाने वाला हो लेकिन भविष्य में आर्थिक विकास की दशा और दिशा का स्पष्ट संकेत दे ही रहा है। जो सुखद तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में घोषणाओं को क्रियान्वित करने, नई घोषणाओं एवं प्रतिबद्धताओं पर विराम लगने, यथार्थ को स्वीकार कर वस्तुनिष्ठ मंथन करने, वैश्विक विनिवेश की अपेक्षा के चक्कर में आंतरिक निवेशक को उपेक्षित नहीं करने, नौकरशाह को जवाब देह बनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ऐसा करने में रिजर्व बैंक की परम्परागत भूमिका में विशेष हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यह वह ही संस्था है जिसके कारण वर्ष 2008 के वैश्विक स्लो डाउन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत कम प्रभावित हो पाई थी। सरकारका स्वाभाविक दायित्व बनता है कि वह उसके कानूनी, संवैधानिक एवं परम्परागत अधिकारों को अल्पकालीन हितों के लिये कम नहीं करे, इसकी स्वायत्तता को हर हालत में कायम रखेरू विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दे, स्व नियंत्रण के लिये स्वायत्तता को चुनौती नहीं दे, इसके गौरवशाली इतिहास को हमेशा ध्यान में रखे। बैंक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तो उसके नियामक के सीने को चौड़ा ही रहने दें। जिस देश में दीर्घकालीन समायोजित विकास की दशा और दशा ऐसी हो सके जिससे संविधान के मूल उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण के उद्देश्य को यथा संभव प्राप्त किया जा सके।

सैनिकों के शव क्षत विक्षत होने को सेना के अत्याचार (बलात्कार) से जोड़ा आजम ने

विवाद बढ़ने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अपने बयान से पलटे

रामपुर। हमेशा विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने एक बार फिर विवादित बयान देकर भारतीय सेना का अपमान किया है। इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार करते हुए भारतीय सेना पर रेप का आरोप लगा दिया।

खान ने सेना पर बलात्कार जैसे मामलों में शामिल होने का आरोप लगाया था लेकिन उनके बयान से उनकी पार्टी के ही किनारा कर लेने और कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्रवाई की मांग करते ही खान अपने बयान से पलट गये। खान का अब कहना है कि उन्होंने फौज पर सीधे कोई टिप्पणी नहीं की।

खान ने रामपुर शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में कह डाला कि सेना पर भी समय समय पर बलात्कार जैसे आरोप लगते रहे हैं। मीडिया में आजम के इस बयान के आते ही समाजवादी पार्टी भी घिरती नजर आने लगी। दोपहर बाद सपा नेता दीपक मिश्रा ने कहा कि आजम को ऐसे बयानों से बचना चाहिए।

मिश्र ने कहा कि इस तरह के बयानों से सेना का मनोबल कमजोर होता है, आजम जैसे बड़े नेताओं को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। पार्टी का रुख भांपते ही आजम ने अपने मीडिया प्रभारी फसाहत शानू की ओर से कही अपनी बात का यह कहते हुए सफाई दी कि उन्होंने झारखंड में एक संगठन की महिलाओं द्वारा सेना के जवानों के गुप्तांग काटे जाने की जघन्य घटना का हवाला दिया था। खान ने कहा कि उनकी मंशा कभी फौज का मनोबल तोड़ने की न थी न रहेगी। मीडिया ने उनकी बात को तोड़-मरोड़ कर पेश कर दिया। मैंने तो हमेशा प्रधानमंत्री से यही कहा कि सैनिकों का सिर ले जाने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाइये, वहां की प्रधानमंत्री की मां को कश्मीरी शॉल, मलीहाबादी आम और साड़ियां देने के बहाने उनके घर मत जाइये। इससे सेना का मनोबल टूटता है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन करने के बजाए जवानों के सिर काटकर ले जाने वालों को तुरन्त सबक सिखाना चाहिए। उधर, खान के बयान से तिलमिलाई भाजपा और कांग्रेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के प्रदेश महासचिव विजय बहादुर पाठक ने कहा कि खान के बयान फौज का मनोबल तोड़ने वाले हैं इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

पाठक ने कहा कि आजकल खान सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयान देते रहते हैं। उन पर अगर कार्रवाई हो जाये तो वह ऐसे बयान नहीं देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष सत्यदेव त्रिपाठी ने कहा कि फौज का मनोबल तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खान का बयान इसी श्रेणी का है इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई बिना देरी किये हो जानी चाहिए।

सेना पर टिप्पणी को लेकर आजम पर राजद्रोह का मुकदमा

मेरठ। भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ बिजनौर के चांदपुर पुलिस थाने में राजद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मेरठ में भी भारतीय सेना के सम्बन्ध में दिए गए बयान को लेकर बजरंगदल के स्थालनीय नेताओं ने आजम के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए शहर के थाना सदर बाजार पुलिस थाने में तहरीर दी है।

चांदपुर पुलिस थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के प्रांत मंत्री अनिल पांडे की तहरीर के आधार पर आजम खान के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 124 (क) 131 (क), 131 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

इधर, मेरठ में भी भारतीय सेना के संबंध में दिए गए बयान को लेकर बजरंगदल के स्थानीय नेताओं ने आजम के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए शहर के थाना सदर बाजार पुलिस थाने में तहरीर दी है। थाना सदर बाजार पुलिस के अनुसार बजरंग दल के क्षेत्रीय मंत्री सचिन कंसल की ओर से दी गई इस तहरीर में कहा गया है कि आजम खान ने सेना का ही नहीं बल्कि देश का अपमान किया है। ऐसे नेता को गिरफ्तार करने में देरी नहीं करनी चाहिए।

सदर बाजार पुलिस के अनुसार तहरीर के आधार पर जरूरी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बजरंग दल के क्षेत्रीय मंत्री सचिन कंसल की अगुवाई में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर सदर बाजार क्षेत्र में उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका।

जलदाय विभाग में 145 करोड़ के घोटाले का मामला

आईएएस संदीप सहित 4 के खिलाफ एफआईआर

पुलिस जुटाएगी विभाग से दस्तावेज, फंस सकते हैं कई और अधिकारी-कर्मचारी

जयपुर। गांधीनगर थाना पुलिस ने जलदाय विभाग में 145 करोड़ के घोटाले में तत्कालीन सचिव वरिष्ठ आईएएस संदीप वर्मा सहित चार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आईएएस के साथ विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता बने सिंह और सीएम चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से विभाग में हड़कम्प मच गया है। सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी फंस सकते हैं। कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने इस बारे में कोर्ट में शिकायत की थी। पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर अब विभाग से दस्तावेज जुटाए जाएंगे।

थानाधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर फर्म विष्णु प्रकाश आर. पुंगलिया लि समेत चार के खिलाफ मामला दर्ज कर के अनुसंधान शुरू कर दिया है।

आरोप है कि फर्म ने अधिकारियों से मिलीभगत और फर्जी निर्माण टर्न ओवर से राज्य में 8 करोड़ के निर्माण कार्य हथियाए।

इसमें जगतपुरा क्षेत्र की पेयजल योजना के 1 उच्च जलाशय और 6 स्वच्छ जलाशय का वर्कऑर्डर भी शामिल है। 13 करोड़ के चार वर्क ऑर्डर में 17 करोड़ का भुगतान भी उठा चुके हैं। ऐसे में फर्म और अधिकारियों ने करीब 145 करोड़ का घोटाला किया है।

यह था मामला

2014 में जगतपुरा क्षेत्र की पेयजल योजना के तहत 10 उच्च और 6 स्वच्छ जलाशय निर्माण का वर्कऑर्डर न्यूनतम दर वाली फर्म के 41.77 करोड़ को दरकिनार कर फर्म विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लि को 48.99 करोड़ में मिला था। जिसकी शिकायत एसीबी में की और फिर काम रुक गया। अब फिर अधिकारियों ने जनहित का वास्ता देकर उसी फर्म को वर्कऑर्डर नियमित कर दिया।

फर्जी पर्ची से बना निर्माण टर्न ओवर

फर्म विष्णु प्रकाश पुंगलिया द्वारा 78 करोड़ रुपए के निर्माण टर्न ओवर की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। टर्न ओवर की 424 एंट्री हैं लेकिन किसी भी व्यक्ति का पता और मोबाइल नम्बर नहीं है। न ही फर्म की ओर से किए गए कार्य की लोकेशन पर्ची पर दी गई है। हर पर्ची में 10 से 90 लाख रुपए का लेन-देन दिखाया गया है।

भूमि घोटाले में आईएएस और मंडल के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ परिवाद पेश

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 में मानसरोवर इलाके में हुए कथित भूमि घोटाले को लेकर परिवाद पेश किया गया है। अशोक पाठक की ओर से पेश परिवाद में तत्कालीन प्रमुख यूडीएच सचिव डीबी गुप्ता, जीएस संधू, राजस्थान आवासन मंडल के तत्कालीन चेयरमैन परसराम मोरदिया सहित तीन अन्य अशोक शर्मा, नानगराम और रामबाबू अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है।

परिवाद में कहा गया कि राज्य सरकार ने मानसरोवर स्कीम की आवासीय योजना के लिए वर्ष 2009 में झालाना रोड देवरी, गोल्यावास और सुखालपुरा की करीब ढ़ाई हजार बीघा भूमि अवाप्त की। परिवाद में कहा गया कि अवाप्ति में शामिल सुखालपुरा की 35 बीघा भूमि को वर्ष, 1975 में ही न्यू पिंकसिटी सोसायटी ने खरीद दिया था। ऐसे में सोसायटी ने रेफरेंस पिटिशन पेश कर मुआवजा सोसायटी के हक में जारी करने की गुहार की। यह रेफरेंस सिविल कोर्ट में वर्तमान में लंबित है। वहीं संबंधित खातेदारों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सोसायटी को ही मुआवजे का हकदार बताया। रेफरेंस लंबित होने के कारण यूडीएच ने मुआवजा राशि अदालत में जमा कर दिया।

परिवाद में कहा गया कि वर्ष 2013 में आवासन मंडल चेयरमैन मोरदिया ने इस भूमि के खातेदारों से मुआवजा नहीं मिलने के आधार पर 25 प्रतिशत भूमि आवंटित करने का प्रार्थना पत्र पेश कराया और स्वयं की अध्यक्षता में ही समझौता समिति ने 13 हजार 281 वर्गमीटर विकसित भूमि आवेदकों को आवंटित करने का निर्णय कर प्रकरण को सरकार को भिजवा दिया। इस पर तत्कालीन आवासन आयुक्त ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए जांच के लिए लिखा, लेकिन तत्कालीन प्रमुख यूडीएच सचिव संधू ने बिना जांच के इस भूमि के पट्टे जारी करने के आदेश दिए। इसके चलते आवेदकों की सहमति से 1120 वर्गमीटर का पहला पट्टा मोरदिया के नौकर नानगराम बलाई के नाम से जारी कर दिया।

सरकार लगभग आधे केन्द्रीय ट्रिब्यूनल्स भंग करेगी

नई दिल्ली। केन्द्रीय विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद केन्द्रीय न्यायाधिकरणों (सेन्ट्रल ट्रिब्यूनल्स) की छंटाई करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में, जहां कुछ ट्रिब्यूनल बंद कर दिये जायेंगे, वहीं कुछ का विलय अन्य में कर दिया जाएगा। उनका लक्ष्य इनकी संख्या को 36 से कम करके 18 करना है।

प्रसाद ने कहा कि इस कवायद से न केवल ट्रिब्यूनल्स का काम-काज सरल एवं कारगर हो सकेगा, बल्कि समयबद्ध तरीके से विवादों का समाधान करना भी सुगम हो सकेगा तथा उन नागरिकों को राहत मिल सकेगी जो अपनी शिकायतों के समाधान के लिए इन ट्रिब्यूनल्स का दरवाजा खटखटाते हैं।

विधि मंत्रालय के अधिकारियों ने कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) की स्तब्ध कर देने वाली स्थिति का हवाला दिया। ज्ञातव्य है कि इस ट्रिब्यूनल की स्थापना न्यायालयों में लम्बित पड़े राजस्व संबंधी मुकदमों की संख्या में कमी करने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि वस्तु स्थिति यह है कि इस न्यायाधिकरण में 97,672 करोड़ लम्बित मुकदमों का ढेर लगा हुआ है तथा इनके कारण राजस्व के 1,31,380 करोड़ रु. उलझे हुए हैं।

एक अन्य बड़े ट्रिब्यूनल डैट रिकवरी ट्रिब्यूनल में करीब 50,000 मुकदमे लम्बित हैं जिनके कारण 14,38,725 करोड़ रु. फंसे हुए हैं। इन अधिकारियों ने इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल की अहमदाबाद शाखा के एक और अधिकरण का उल्लेख किया जिसमें 14,000 मुकदमों का बैकलॉग है तथा पिछले तीन साल से इसमें अध्यक्ष पद खाली पड़ा है। सरकार ने बजट सत्र में पारित हुए फाइनेंस एक्ट में ही इनमें से कई ट्रिब्यूनल्स का विलय कर देने के इरादे की घोषणा कर दी थी। इस अधिनियम में सरकार को इनका विलय करने तथा इसके सदस्यों को नियुक्त करने एवं हटाने के अधिकार दिये गये हैं। सरकार यह दावा कर रही है कि यह विवादों के समाधान में तेजी लायेगी तथा अनावश्यक खर्च में कटौती करेगी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन ट्रिब्यूनल्स में न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार सरकार को मिल जाने से, इन अर्द्ध न्यायिक (क्वाजी जुडिशियल) निकायों की स्वतंत्रता में कमी आयेगी।

अधिकारियों ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स की संख्या में कमी तीन चरणों में की जायेगी तथा चूंकि ये न्यायाधिकरण, संसद द्वारा पारित अधिनियम के जरिये स्थापित किये गये थे, इसलिए इनका विलय करने के लिये नये कानून बनाना आवश्यक होगा। शुरूआत में, सरकार त्वरित प्रभाव से, आठ स्वायत्तशासी न्यायाधिकरणों का विलय अन्य न्यायाधिकरणों में कर रही है। इन ट्रिब्यूनलों के विलय के फलस्वरूप, इन पर खर्च होने वाला जो पैसा बचेगा, उस पैसे का उपयोग उच्च न्यायालयों के सशक्तिकरण के लिये किया जा सकता है।

यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्देशों के अनुरूप उठाया जा रहा है जो गत वर्ष नवम्बर में, भारत के तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने दिये थे। तत्कालीन सीजेआई ने कई न्यायाधिकरणों के खाली पड़े होने पर चिन्ता व्यक्त की थी तथा कहा था कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि सर्वोच्च न्यालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश इन ट्रिब्यूनल्स का प्रमुख बनना नहीं चाहता।

सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर नहीं जारी किया कोई आदेश

बिना आधार भी ले सकेंगे योजनाओं का लाभ

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने समाज कल्याण की योजनाओं का लाभ उठाने के लिये आधार की अनिवार्यता संबंधी केन्द्र की अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। इस बीच, सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी भी व्यक्ति को इस पहचान के अभाव में वंचित नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अवकाशकालीन पीठ ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं की महज इस आशंका के आधार पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है कि आधार के अभाव में किसी भी व्यक्ति को विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है और वह भी ऐसी स्थिति में जब कोई भी प्रभावित व्यक्ति न्यायालय नहीं आया है।

न्यायाधीशों ने कहा- महज आशंका के आधार पर कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है। आपको एक सप्ताह इंतजार करना होगा। यदि किसी व्यक्ति को इस लाभ से वंचित किया जाता है तो आप न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं। तीन याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से पीठ ने कहा- हम ऐसे आदेश नहीं दे सकते जो अनिश्चित हैं। आप कह रहे हैं कि किसी को इससे वंचित किया जा सकता है परन्तु हमारे सामने तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। पीठ ने कहा- यह शासन एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी व्यवस्था है जो कह रहा है कि वह इन लाभों से किसी को भी वंचित नहीं करेगा। फिलहाल वैकल्पिक पहचान पत्र वैध हैं।

सुनवाई के दौरान केन्द्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि विभिन्न समाज कल्याण की योजनाओं के तहत उन लोगों को भी लाभ दिया जायेगा जिनके पास आधार नहीं है। उन्होंने 8 फरवरी की अधिसूचना का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें कहा गया है कि यदि किसी के पास आधार नहीं है तो भी उसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड जैसे पहचान पत्रों का इस्तेमाल करने पर इन योजनाओं का लाभ मिलेगा।

मेहता ने कहा- इन पहचान का मतलब यह है कि कोई भी छद्म व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर सके। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये दस अन्य दस्तावेज वैध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने जिन व्यक्तियों के पास आधार नहीं है और वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिये आधार के लिये पंजीकरण कराने हेतु 30 जून की तारीख बढ़ाकर 30 सितम्बर कर दी है। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को इन लाभों से वंचित नहीं किया जायेगा।

पीठ ने 10 जून के शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इसने पैन कार्ड और आयकर रिटर्न के लिये आधार अनिवार्य करने संबंधी आयकर कानून के प्रावधान को वैध ठहराया है परन्तु उसने निजता के अधिकार के मुद्दे पर संविधान पीठ द्वारा विचार होने तक इसके अमल पर आंशिक रोक लगा दी है।

लो-फ्लोर बसों को बंद करने की मांग

सड़कों पर काल बन घूम रही हैं ये खटारा बसें : पं. सुरेश मिश्रा

जयपुर। जयपुर में लो-फ्लोर बसों से आये दिन हो रही दुर्घटनाओं से आहत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव पं. सुरेश मिश्रा ने सरकार से मांग की है कि इन खटारा बसों को जो कि शहर में काल बन कर घूम रही हैं और इनकी उचित देख-रेख के अभाव में हालत जर्जर हो रही है और आये दिन दुर्घटना हो रही है। इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाये।

पं. सुरेश मिश्रा ने कहा कि कल टोंक रोड पर होते हुए हादसे के समय मैंने देखा कि बस पूरी तरह से बेकाबू थी और एक मासूम की जान भी चली गई। दो व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। आये दिन इन बसों से दुर्घटनाएं हो रही हैं परन्तु सरकारी तंत्र का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है।

मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार को इन बसों के नियमित रिनुअल और नई बसों से अपग्रेडेशन के विषय में कोई ध्यान नहीं है यहां तक कि इन बसों के कहीं भी ब्रेक फेल हो जाते हैं और मासूम व्यक्ति इनकी चपेट में आ जाते हैं। मिश्रा ने कहा कि सरकार को इन बसों पर लिखा देना चाहिए कि अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करें।

मिश्रा ने सरकार से मांग की है कि अयोग्य चालकों को भी तुरन्त प्रभाव से हटाया जाये। रोडवेज में नियुक्ति प्रक्रिया में निश्चित रूप से गड़बड़ हुई है इसलिये इन दिनों नये चालकों की रोज शिकायतें आ रही हैं।

'बलात्कार के झूठे आरोपों से प्रभावित होता है मान-सम्मान'

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि बलात्कार के झूठे आरोप के शिकार व्यक्ति को बेवजह शर्मिन्दगी का सामना करना पड़ता है और उसका मान-सम्मान प्रभावित होता है। इसलिए झूठा आरोप लगाने के अपराध के लिए शिकायतकर्ता महिला आपराधिक कार्यवाही से नहीं बच सकती।

अदालत ने कहा कि इस तरह के मामलों से व्यवस्था का मखौल उड़ता है जिससे अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है। साथ ही पूरी प्रक्रिया में गलत सूचना देकर पुलिस प्राधिकरण का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैल जैन ने पुलिस को जानबूझकर गलत सूचना देने और एक व्यक्ति के मान-सम्मान को प्रभावित करने के लिए एक महिला के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया।

अदालत ने एक नृत्य शिक्षक को बलात्कार व धोखाधड़ी के आरोपों से बरी करते हुए कहा कि महिला के बयान से साफ है कि उसने यह जानते हुए कि नृत्य शिक्षक ने उसके प्रति ना तो किसी अपराध को अंजाम दिया और ना ही शादी का झूठा वादा कर उसके साथ बलात्कार किया, व्यक्ति के खिलाफ गलत शिकायत की। आदेश में साथ ही कहा गया कि यह अदालत द्वारा झूठा आरोप लगाने के अपराध के लिए महिला पर मुकदमा चलाने से सम्बन्धित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से शिकायत करने का उपयुक्त मामला है। अदालत ने अपने एक कर्मचारी को एक अलग शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया।

महिला ने नृत्य शिक्षक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि उसने शादी का झूठा वादा कर उसके साथ 2016 में करीब एक साल तक बलात्कार किया।

आम आदमी पार्टी विधि प्रकोष्ठ, राजस्थान

आप
आम आदमी पार्टी
राजस्थान

राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए राजस्थान के अधिवक्ताओं से निवेदन है कि

AAP Legal Cell, Rajasthan से जुड़े।

निःशुल्क सदस्य बनने के लिए अपना नाम, पता व मोबाईल नम्बर भिजवाये

सम्पर्क सूत्र

पूनमचंद भण्डारी	शंकर सोनी	इन्द्रजीत खथूरिया	सुरेश शर्मा
7737373479	8890622976	9828048907	9414788237
संयोजक	सह संयोजक	सदस्य	सदस्य

देशवासी गंभीरता से विचार कर आत्मचिंतन करें

1. क्या हम वास्तव में आजाद हैं ?
2. क्या देश में कानून का शासन है ?
3. अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक कैसे होगा तय ?
4. आखिर यह धर्मनिरपेक्षता क्या है ? इस राष्ट्र में साम्प्रदायिक कौन है ?
5. क्या देश को धर्म, जाति, सम्प्रदाय व भाषा के नाम पर बांटा जाना गंभीर विषय नहीं है ? और यह राष्ट्र के लिए कितना घातक होगा इसकी कल्पना की जा रही है ?
6. धनवान और धनवान, क्रीमीलेयर को आरक्षण क्या इससे राष्ट्र सम्पन्न मान लिया जावे ?
7. कब तक हम लोकसेवकों को वीआईपी और अपने आपको याचक (भिखारी) समझते रहेंगे ?
8. क्यों नहीं होना चाहिए सबके लिए समान कानून ?
9. कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापित होने पर क्यों है सम्पूर्ण राष्ट्र मौन ?
10. देश के मुसलमान कश्मीर में धारा 370 का क्यों कर रहे हैं समर्थन ?
11. आतंकवादियों को पनाह देने वाले कैसे माने जा रहे हैं धर्मनिरपेक्ष ?
12. जेलें क्यों बन रही हैं अपराध ट्रेनिंग सेंटर ?
13. क्यों वर्षों वर्षों तक न्याय के लिए हम भटकने को मजबूर हैं ? क्यों न हो न्यायपालिका इसके लिए जवाबदेह ?
14. भ्रष्टाचार एवम् घोटालों के विरूद्ध क्यों नहीं उठ रही आवाज ?
15. संसाधनों के अभाव का तर्क देकर कब तक आम नागरिकों के मानवाधिकारों का होता रहेगा हनन ? इन पर कीजिए मनन।

क्या उपरोक्त प्रश्न हमें यह अहसास कराते हैं कि हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं ?

और 15 अगस्त विशेषांक के लिए भेजें अपने विचार

जजों की नियुक्ति के मुद्दे का हल निकलने में लग सकती है देर

नई दिल्ली। भविष्य में हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के दिशा-निर्देश संबंधी एक दस्तावेज को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रहे तीखे मतभेद का प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर के कार्यकाल में सुलझ पाना संभव नहीं दिखता। न्यायमूर्ति जे एस खेहर अगले माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दरअसल प्रक्रिया पत्र (एमओपी) के विभिन्न प्रावधानों पर कॉलेजियम द्वारा जताई गई आपत्तियों पर केन्द्र जल्द प्रतिक्रिया देता दिखाई नहीं देता। कॉलेजियम द्वारा जताई गई आपत्तियों पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय को ही लेना है।

सूत्रों के मुताबिक एमओपी दस्तावेज को नए मतभेदों के बिना अंतिम रूप दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए जवाब तैयार करना अभी बाकी है। हो सकता है कि जवाब न्यायमूर्ति खेहर के 28 अगस्त को पद से हटने से पहले न आ पाए। बीती जनवरी से ही सरकार और शीर्ष अदालत प्रक्रिया पत्र को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। यह दस्तावेज हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के बारे में दिशा-निर्देश देगा।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग कानून को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट एमओपी में संशोधन के लिए सहमत हो गया था ताकि शीर्ष अदालत और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों में ज्यादा पारदर्शिता लाई जा सके। नए कानून ने दो दशक पुरानी उस कॉलेजियम व्यवस्था को बदलने की बात की थी, जिसमें जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। उस कानून ने जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका का दखल होने की मांग की थी।

राष्ट्रीय सुरक्षा और सचिवालय संबंधी प्रावधान एमओपी का हिस्सा हैं, जो कि 22 मार्च 2016 से सरकार और कॉलेजियम के बीच झूल रहा है। मार्च में दिए सबसे हालिया जवाब में कॉलेजियम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी जज के नाम की सिफारिश को सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के आधार पर आपत्तियां होती हैं, तो वह यह बात कॉलेजियम को बताएगी। तब कॉलेजियम अंतिम फैसला लेगा। गौरतलब है कि पिछले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर के कार्यकाल में एमओपी के मुद्दे पर सरकार के साथ मतभेद इस कदर बढ़ गए थे कि उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्तियां लटक गई थीं।

पाक्षिक
न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

परामर्श मण्डल न्यायिक ज्वाला

1.	श्री जे.पी. बंसल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2.	श्री दामोदर मिश्रा	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3.	श्री वी.के. अग्रवाल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4.	श्री डॉ.पी.एन. रछोया	सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5.	डा. मोहिनी शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6.	श्री रामदयाल खंडेलवाल	संस्थानिक प्रतिनिधि
7.	श्री विष्णुकांत शर्मा	एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। **Website : www.nyayikjwala.org.**
ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।